कार्यालय पंचायत समिति सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

दिनांक 31-7-17

क्रमांक 2675

आदेश

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान तृतीय श्रेणी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2016 के माध्यम से सामान्य शिक्षक लेवल–1 (NON TSP AREA) में काउन्सलिंग उपरान्त नव चयनित अभ्यर्थियों में से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 89 की उप–धारा (1) में निर्दिष्ट जिला स्थापना समिति श्रीगंगानगर की बैठक दिनांक 28.07.2017 के प्रस्ताव संख्या 01 में लिये निर्णयानुसार चयनित निम्न अभ्यर्थियों को जिला परिषद श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक जिपग/स्थापना/2017/1663 दिनांक 28.07.2017 द्वारा इस पंचायत समिति को आवंटन के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 89 की उप–धारा (6) एवं राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 276 के तहत इस आदेश में उल्लेखित शर्तों के अध्यधीन प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय सामान्य शिक्षक लेवल–1 (NON TSP AREA) में के पद पर परिवीक्षा प्रशिक्षणार्थी के रूप में पूर्णतः अस्थायी तौर पर पंचायत समिति की प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति की बैठक दिनांक 31.07.2017 के प्रस्ताव संख्या 1 की अनुपालना में कार्यग्रहण की तिथि से नियुक्ति प्रदान कर इनका पदस्थापन उनके नाम के सामने अंकित विद्यालयों में किया जाकर आदेशित किया जाता है कि आप दिनांक 14.08.2017 तक आवंटित विद्यालय में कार्यग्रहण कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।

क्रं0 सं0	मेरिट क्रमांक	आवेदन क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम श्री/सुश्री/श्रीमती	पिता/पति का नाम	पता	जन्म तिथि	श्रेणी (विशिष्ट श्रेणियों सहित)	चयनित श्रेणी (विशिष्ट श्रेणियों सहित)	पदस्थापित विद्यालय
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
1	5883	201610001952	कुमारी ललिता पंवार	डूंगर राम पंवार	चक अबोहरिया, पो.ऑ. बनवाली, तहसील सादुलशहर	05.02.1984	SC	SC Female Divorced	राजकीय प्राथमिक विद्यालय 6 बीजीएस (08010301001)
2	65	201610002843	रितू सिहाग	भोज राज सिहाग	गांव डूंगरसिंहपुरा, पो.ऑ. गणेशगढ़, तहसील सादुलशहर	09.04.1992	OBC (Non Creamy Layer)	General Female	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 11 टीकेडब्ल्यू (08010321202)
	805	201610056720	अनिता	बृज लाल	वार्ड नं. 08, वीपीओ लालगढ़ जाटान, तहसील सादुलशहर	10.06.1989	OBC (Non Creamy Layer)	General Female	राजकीय प्राथमिक विद्यालय 6 एलएलजी (08010308301)
	2274	201610020002	अनिल डूडी	लाल चन्द	चक 10–12 एसडीपी, पो.ऑ. लालगढ़ जाटान, तहसील सादुलशहर	23.03.1991	OBC (Non Creamy Layer)	General Male	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 16–17 एसडीएस (08010317601)

www.rajteachers.com

5	2483	201610035157	मनीष	रामेश्वर लाल	वार्ड नं. 5, वीपीओ अमरपुरा जालू, तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़	01.05.1994	OBC (Non Creamy Layer)	General Male	राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय सरदारपुरा जीवन (08010510201)

नवनियुक्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक प्रथम स्तर (कक्षा 1 से 5 के लिये) को राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2008 के नियम 21 की अनुसूची iv के अनुसार परीवीक्षा काल में नियत पारिश्रमिक रूपये 13200/-देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नही होंगे। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधाये एवं अवकाश आदि राजस्थान पंचायती राज नियम एवं राजस्थान सेवा नियमों में निहित संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। दो वर्ष के परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरांत ही पद की वेतन श्रृंखला का नियमानुसार वेतनमान 9300-34800 ग्रेड पे रूपये 3600/- देय होगा। जो अभ्यर्थी पूर्व से नियमित राजकीय सेवा में कार्यरत है, उनके संदर्भ में वित विभाग की अधिसूचना कमांक प.1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13.3.2006 के अनुसार वेतन भत्ते देय होंगे। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 01.01.2004 के अनुसार नयी भर्ती/नियुक्त होने वाले नये राज्य कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना का प्रावधान है।

इन अभ्यर्थियों की जन्म तारिखें वे ही हैं जो इन्होंने परीक्षा के अपने आवेदन पत्रों में उल्लेखित की हैं और जिन्हें जिला स्थापना समिति जिला परिषद द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात स्वीकार किया गया है।

सभी नियुक्तियां प्रोविजनल होगी एवं नियुक्ति प्राप्त अभ्यर्थियों के पक्ष में कोई अधिष्ठायी अधिकार उत्पन्न नही करेगी।

उक्त नियुक्ति की शर्तें निम्न प्रकार से होगीः-

1. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर द्वारा इस भर्ती परीक्षा के संबंध में इस आदेश में उल्लेखित याचिकाओं के अतिरिक्त भी इस आदेश के जारी होने की तिथि तक अन्य दायर विविध याचिकाओं में पारित होने वाले अंतिम निर्णयों के अध्यधीन रहेगी।
2. जिन अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के दौरान शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं से संबंधित उपाधियाँ/प्रोविजनल प्रमाणपत्र प्रस्तुत नही किये हैं, उन्हें पदस्थापित विद्यालय में कार्यग्रहण से पूर्व पंचायत समिति कार्यालय में अपनी उपाधि/प्रोविजनल प्रमाणपत्रों की मूल एवं सत्यापित प्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी।
3. उपरोक्त अभ्यर्थियों को संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सी.एम.एच.ओ.) द्वारा गठित सक्षम बोर्ड से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपस्थिति रिपोर्ट के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेगें । मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट के अभाव में कार्यग्रहण हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।
4. उपरोक्त नियुक्ति पूर्णरूपेण प्रोविजनल हैं तथा चयनित अध्यापकों को पुलिस द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र सत्यापन के अध्ययधीन नियुक्ति दी जाती है।
5. राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 256 के अनुसार नियोजन के लिए अपात्र एवं निरर्हक अभ्यर्थी को बिना कारण बताये उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
6. उपरोक्त अभ्यर्थियों के राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर संस्थायी रूप से सेवारत होने की स्थिति में उपरोक्त निश्चित मानदेय से अधिक राशि वेतन के रूप में आहरित किये जाने की स्थिति में गत भुगतान प्रमाण पत्र (LPC) के अनुसार वेतन आहरित किया जावेगा। परन्तु उन्हे वार्षिक वेतनवृद्धियाँ परीवीक्षाकाल सफलता पूर्वक पूरा करने के बाद ही स्वीकृत की जायेगी।

www.rajteachers.com

7. यदि इस समय कोई अभ्यर्थी किसी विभाग में अप्रेन्टिस कार्यरत है तो उस विभाग के संबंधित अधिकारी से कार्यमुक्त/त्याग पत्र स्वीकृत कराने के पश्चात् ही उक्त नियुक्ति पदस्थापन पर कार्यभार ग्रहण सम्भाल सकेगा।
8. वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 13(1)एफ.डी./रूल्स/2003 दिनांक 2.8.2005 एवं 13.3.06 के अनुसार नई अंशदायी पेन्शन योजना लागू होगी ।
9. कार्मिक विभाग की विज्ञप्ति कमांक एफ 7(1)(डी.ओ.पी.)–2/95 दिनांक 20.6.01 के सम्बन्ध में दिनांक 1 जून, 2002 के पश्चात् दो संतानों में वृद्धि नहीं हुई है, का दस रूपये के नोन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर निर्धारित प्रपत्र में घोषणा प्रस्तुत करें ।
10. उक्त नियुक्ति पर कार्मिक (क–2)विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.1.06 एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना/मेमोरेण्डम दिनांक 13.3.06 एवं 12.9.08 में उल्लेखित नियम व शर्तें लागू होंगी ।
11. परिवीक्षाधीन काल में सेवायें सन्तोषप्रद नहीं होने पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस दिया जाकर सेवाऍ समाप्त की जा सकेगी ।
12. पदग्रहण करने से पूर्व दो उत्तरदायी व्यक्तियों से जो अभ्यार्थी के रिश्तेदार न हो, से चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो छः माह पूर्व का नहीं होगा।
13. अभ्यार्थी को भारत के संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा की शपथ निहित प्रारूप में लेनी होगी।
14. अभ्यर्थी को पदस्थापित विद्यालय में दिनांक 14.08.17 तक उपस्थिति देकर पदग्रहण करना होगा। यदि पदस्थापित विद्यालय में वह इस तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करता है तो उस अभ्यार्थी के नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेगें।
15. ऐसा विवाहित अभ्यार्थी जिसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया हो वह राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद सेवा का पात्र नहीं होगा । इस विषय में पदग्रहण करने से पूर्व अभ्यार्थी उक्त शर्त का अपना शपथ पत्र संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत करेंगें ।
16. अभ्यर्थी को एक से अधिक पत्नी/पति नहीं होने का शपथ पत्र 10 रूपये के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा ।
17. परिवीक्षा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक समाप्ति के पश्चात् चालू वेतन बैण्ड़ और ग्रेड वेतन में वेतन अनुज्ञात किया जाएगा ।
18. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग–1 अध्याय में आने वाले मामलों को छोडकर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।
19. उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उनके चरित्र प्रमाण पत्र संन्तोषजनक पाये जाने के अध्यधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी का चरित्र प्रमाण पत्र संन्तोषजनक प्रमाणित नही पाया गया तो उसके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जायेगें।

विकास अधिकारी
पंचायत समिति सादुलशहर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–2676–92

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
3. निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग राजस्थान जयपुर।
4. श्रीमान जिला कलक्टर श्रीगंगानगर।
5. संबंधित पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़ को नवनियुक्त उक्त अध्यापकों के द्वारा भरे गये चरित्र सत्यापन रोल (attestation form) की छायाप्रति संलग्न प्रेषित कर निवेदन है कि इनकी चरित्र सत्यापन रिपोर्ट 15 दिवस में भिजवाने का श्रम करें।
6. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय श्रीगंगानगर।
7. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद श्रीगंगानगर।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर को प्रेषित कर लेख है कि अभ्यर्थियों के मेडिकल बोर्ड प्रतिवेदन की एक प्रति अभ्यर्थी को उपलब्ध करावें तथा स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति पंचायत समिति को प्रेषित कराने का श्रम करें।

www.rajteachers.com